

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.(3) / परिवहन / आरएसबीटीडीए / 2015

जयपुर, दिनांक: ०१-०७-२०१६

अधिसूचना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ ५ (१) कार्मिक / (क-१) / २०१६ जयपुर, दिनांक २६.०४.२०१६ के द्वारा श्री एस.के. अग्रवाल का पदस्थापन प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग में करने के परिणाम स्वरूप राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१५ (२०१५ का अधिनियम सं. १९) की धारा ४ की उप-धारा (४) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने की दिनांक ०२.०५.२०१६ से नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीष अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव

सं. एफ.(3) / परिवहन / आर.एस.बी.टी.डी.ए / 2015

जयपुर, दिनांक: ०१-०७-२०१६

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

१. सचिव (प्रथम / द्वितीय), माननीय मुख्यमंत्री, महोदया राजस्थान, जयपुर।
२. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
३. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
४. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
५. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
६. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
७. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
८. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
९. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
१०. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
११. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, जयपुर।
१२. निजी सचिव, प्रदन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पद्ध परिवहन निगम, जयपुर।
१३. सचिव, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, जयपुर।
१४. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन विभाग, जयपुर।
१५. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (समस्त)।
१६. जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
- ✓ १७. एसीपी, परिवहन विभाग, विभागीय वेबसाइट, अपडेट करने हेतु।
१८. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को हार्ड एवं रोपट कॉपी संलग्न कर लेख हैं कि कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करावें तथा प्रकाशित अंक की एक प्रति इस विभाग को भिजवाएं।
१९. रक्षित पत्रालंबी।

संयुक्त शासन सचिव